

Download By Email
Date - 18/04/17

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक- 2107 / रामपुर / 20803 / 2016, दिनांक, लखनऊ, अप्रैल 13, 2017

सेवा में
वन संरक्षक,
मुरादाबाद वृत्त,
मुरादाबाद।


विषय: रामपुर-शाहाबाद मार्ग (MDR-53) किमी 0 14.531 की दायी पटरी पर ग्राम-पटयाई, तहसील-शाहाबाद के गाटा सं-450 में इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.079 हे० संरक्षित वनभूमि का दिना सूक्ष पातन के गैरव्यवहारीक प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ आपका पत्रांक-2693/14-1, दिनांक 31.03.2017 महोदय,

विषयक प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार है :-

- 1- संलग्न गणना का क्षेत्रफल, अनुमोदित ले-आउट प्लान पर अंकित सम्पर्क मार्ग के क्षेत्रफल से भिन्न है।
- 2- प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रस्तावित स्थल का डिजिटल मैप अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुरूप नहीं है।
- 3- आफलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-1(अ) एवं पार्ट-2 के बिन्दु-7 पर अंकित सूचना में उल्लिखित है कि प्रस्तावित स्थल का प्रयोग पेट्रोल/डीजल पम्प की स्थापना के लिए है। जबकि ऑनलाइन पार्ट-1 में पेट्रोल/डीजल पम्प के सम्पर्क मार्ग की स्थापना अंकित किया गया है। स्थिति स्पष्ट करते हुए सूचना को संशोधित करें।
- 4- आफलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-1(घ) पर अंकित सूचना (साथ मिलाया संलग्न है) का क्या आशय है, स्पष्ट करें।
- 5- ऑनलाइन पार्ट-2 के बिन्दु-16 में प्रभागीय निदेशक द्वारा अंकित संस्तुति के कारण में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपलोड किये गये अस्टीफिकेशन पर सहमति दी गयी है, जो औचित्यपूर्ण नहीं है। प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थल निरीक्षण कर अपनी सुस्पष्ट आख्या लिखनी चाहिए।
- 6- आफलाइन पार्ट-2 के बिन्दु-2(1) की सूचना अंकित नहीं है।
- 7- उपरोक्त सूचनाओं को पूर्ण कर प्रस्ताव पर वृक्ष संख्या एवं विषय-सूची को भी अपडेट कर का कष्ट करें।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ किसी कार्यालय दिनांक में इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अपूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को कदापि न प्रेषित करें।



भवदीय,

(वाई०एस०के०शुक्लगार)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 2107

उक्तदिनांक 18/04/17

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा०पा० प्रभाग, रामपुर को उपरोक्तानुसार सूचनायें एवं इस आशय से प्रेषित कि संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, मुरादाबाद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
प्रतिलिपि वरिष्ठ मण्डल रिटेल सेल प्रबन्धक, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, बरेली मंडल कार्यालय, मुरादाबाद क्षेत्र के वन विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार आवश्यक अभिलेख प्रभागीय निदेशक, रामपुर को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Download By Email

पत्रांक R-5812/14-1 दिनांक 18/04/2017

(वाई०एस०के०शुक्लगार)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, रामपुर को इस आशय से प्रेषित कि संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, मुरादाबाद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
प्रतिलिपि वरिष्ठ मण्डल रिटेल सेल प्रबन्धक, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, बरेली मंडल कार्यालय, मुरादाबाद क्षेत्र के वन विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार आवश्यक अभिलेख प्रभागीय निदेशक, रामपुर को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।